International Journal of Management, IT & Engineering
Vol. 8 Issue 7, July 2018,
ISSN: 2249-0558
Impact Factor: 7.119Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारत में आरक्षण प्रणाली

डॉ. केशरी नन्दन मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास)
हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय पी.जी. कालेज, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

भारतीय कानून में आरक्षण एक सकारात्मक कार्रवाई का रूप है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, संघ और राज्य नागरिक सेवाओं, संघ और राज्य सरकार के विभागों और धार्मिक / भाषाई अल्पसंख्यकों को छोड़कर सभी सार्वजनिक और निजी शिक्षण संस्थानों में कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थान, जो इन सेवाओं और संस्थानों में अपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की संसद में प्रतिनिधित्व के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण नीति को बढ़ाया जाता है।

आरक्षण प्रणाली के पीछे तर्क:

राज्य द्वारा आरक्षण के प्रावधान के लिए अंतर्निहित सिद्धांत भारतीय जाति व्यवस्था की विरासत के रूप में पहचान योग्य समूहों का अंडर-प्रतिनिधित्व है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, भारत के संविधान ने कुछ पूर्ववर्ती समूहों को अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में सूचीबद्ध किया। संविधान के निर्माताओं का मानना था कि, जाति व्यवस्था के कारण, एससी और एसटी को ऐतिहासिक रूप से प्रताड़ित किया गया और भारतीय समाज में सम्मान और समान अवसर से वंचित किया गया और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में उनका प्रतिनिधित्व किया गया। संविधान ने सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों के लिए 15% और 7.5% रिक्तियों को निर्धारित किया है, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः पांच साल की अवधि के लिए आरक्षित कोटा, जिसके बाद स्थिति यह होनी थी की समीक्षा की।

आरक्षण के प्रावधान को एक बार पेश करने के बाद, यह वोट बैंक की राजनीति से संबंधित हो गया और निम्नलिखित सरकारों और भारतीय संसद ने बिना किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष संशोधन के इस अवधि को नियमित रूप से बढ़ा दिया। बाद में, अन्य वर्गों के लिए भी आरक्षण शुरू किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है (जो कि यह न्याय करता है कि संविधान द्वारा दी गई समान पहुँच का उल्लंघन होगा) ने आरक्षण पर एक टोपी लगा दी है। भारत की केंद्र सरकार

उच्च शिक्षा का 27% हिस्सा सुरक्षित रखती है, और अलग-अलग राज्य आगे के आरक्षण को लागू कर सकते हैं। अधिकांश राज्यों में आरक्षण 50% पर है, लेकिन राजस्थान जैसे कुछ भारतीय राज्यों ने 68% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है जिसमें सेवाओं और शिक्षा में अगड़ी जातियों के लिए 14% आरक्षण शामिल है। हालांकि, ऐसे कानून हैं जो इस 50% की सीमा से अधिक हैं और ये सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी के अधीन हैं। उदाहरण के लिए, जाति आधारित आरक्षण अंश 69% है और तमिलनाडु राज्य में लगभग 87% जनसंख्या पर लागू है।

आरक्षण के मुद्दे पर समितियाँ और आयोग:

- 1882 - हंटर कमीशन नियुक्त किया गया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने सरकारी नौकरियों में आनुपातिक आरक्षण / प्रतिनिधित्व के साथ-साथ सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की मांग की।
- 1953- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का आकलन करने के लिए कालेलकर आयोग की स्थापना की गई थी। जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संबंध था, इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। ओबीसी के लिए सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया था।
- 1979-मंडल आयोग की स्थापना सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थिति का आकलन करने के लिए की गई थी। आयोग के पास एक उप-जाति के लिए सटीक आंकड़े नहीं थे, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में जाना जाता है, और 1930 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया, और आगे पिछड़े के रूप में 1,257 समुदायों को वर्गीकृत करते हुए, ओबीसी की आबादी 52% .lc 1980 का अनुमान लगाया। आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और मौजूदा कोटा में बदलाव की सिफारिश की, जिससे उन्हें 22% से 49.5% तक बढ़ा दिया गया। 1990 के बाद, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया। छात्र संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन चलाया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह का प्रयास किया। कई छात्रों ने सूट का पालन किया।
- 2003- जस्टिस राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता वाली सच्चर कमेटी, और सैय्यद हामिद, डॉ। टी.के. ओमन, एम.ए. बसिथ, डॉ.अख्तर मजीद, डॉ.अबू सालेह शरीफ और डॉ.राकेश बसंत को भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। डॉ। सैय्यद ज़फ़र महमूद पीएम द्वारा नियुक्त सिविल सेवक थे जिन्हें समिति के विशेष कर्तव्य पर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2006 में प्रस्तुत की।

सच्चर समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन:

अल्पसंख्यकों का कल्याण, विशेष रूप से उनके वंचित वर्ग का, यूपीए सरकार के एजेंडे पर तब से ऊँचा रखा गया है, जब तक कि उसने शासन के अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में growth समावेशी विकास 'को अपनाया है। अन्यथा, हर सार्थक लोकतंत्र में, यह राज्य का कर्तव्य है, और एक कोरोलरी के रूप में, अल्पसंख्यक के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए बहुसंख्यक समुदाय की जिम्मेदारी है ताकि समाज के सभी वर्गों को लोकतांत्रिक सेटअप का हिस्सा होने पर गर्व महसूस हो और इस तरह योगदान दें राष्ट्र के विकास के लिए उनका सबसे अच्छा।

विशेष रूप से हमारे ऐतिहासिक संदर्भ में: जहां सभी समुदायों और लोगों के वर्गों ने कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता के युद्ध में अपना जीवन लगा दिया, 'समावेशी विकास' की अवधारणा विकास और प्रगति के रोडमैप के लिए साइन क्वालिफाइड नॉन हो जाती है।

यह इस संदर्भ में था कि प्रधानमंत्री डॉ। मनमोहन सिंह ने मार्च 2005 में भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी।

यह अध्ययन आवश्यक था क्योंकि उस समय तक, इस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं थी, जिससे इसकी सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विशिष्ट नीतियों, हस्तक्षेपों और कार्यक्रमों के उचित निर्माण और कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो।

7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति, जिसे लोकप्रिय रूप से सच्चर समिति के रूप में जाना जाता है, ने नवंबर 2006 में अपनी रिपोर्ट दी - और यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि मुस्लिम समुदाय वास्तव में "मानव विकास के अधिकांश संकेतकों के मामले में गंभीरता से पिछड़ रहा था।"

सरकार ने तुरंत समस्या की गंभीरता को भांप लिया और सही मायनों में अनुवर्ती कार्रवाई पर काम करना शुरू कर दिया। समिति की 76 सिफारिशों में से 72 को स्वीकार कर लिया गया। इन सिफारिशों की जांच के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय, नोडल मंत्रालय है। और एक साल से भी कम समय में, यानी 31 अगस्त, 2007 को संसद के दोनों सदनों में सच्चर समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर एक बयान दिया गया था। कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

जब से सरकार सच्चर समिति की प्रमुख सिफारिशों को लागू करने की दिशा में नियमित कदम उठा रही है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन शिक्षा, मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बहुस्तरीय रणनीति, जैसा कि सच्चर समिति द्वारा लाया गया है, को अपनाया गया है।

मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने, किताबों के लिए सहायता बढ़ाने, सहायक उपकरण और कंप्यूटर सिखाने, और व्यावसायिक विषयों की शुरुआत आदि को संशोधित करने के लिए

संशोधित किया गया है। इस योजना को अब मदरसा शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के रूप में जाना जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।

अल्पसंख्यकों के लिए स्थापित निजी तौर पर प्रबंधित प्राथमिक / माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा -2005 के आलोक में सभी वर्गों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं।

अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति के अध्ययन के लिए केंद्र शुरू करने के लिए प्रत्येक को तेरह विश्वविद्यालयों को रु .40 लाख प्रदान किए गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (केजीबीवी) के तहत, शैक्षिक पिछड़े ब्लॉकों के मानदंडों को पहली अप्रैल 2008 से संशोधित किया गया है ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले शहरी क्षेत्रों में और महिला साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से कम 53.67% के साथ ब्लॉक कवर किया जा सके। (जनगणना 2001)।

द्वितीयक चरण (SUCCESS) में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का सार्वभौमिकरण को मंजूरी दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संशोधित योजनाओं में नए जन शिक्षण संस्थानों (JSS) की स्थापना की जा रही है। एचआरडी मंत्रालय की मौजूदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के तहत अल्पसंख्यक एकाग्रता जिलों / ब्लॉकों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अधिक गर्ल्स हॉस्टल का प्रावधान प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएँ। प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट- कम-मीन्स लॉन्च किए गए और 6.89 लाख छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को 2008-09 में प्रदान की गई। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का कॉर्पस, जो रु। 100 करोड़, दोगुना कर रु। दिसंबर, 2006 में 200 करोड़।

कॉर्पस में रु। की वृद्धि की गई थी। 2007-08 में 50 करोड़ और रु। 2008-09 में 60 करोड़ रु। 2009-10 में 15 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। एक संशोधित कोचिंग और एलाइड योजना शुरू की गई और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 5522 उम्मीदवारों को 2008-09 में सहायता प्रदान की गई।

एक समुदाय के उत्थान में एक महत्वपूर्ण उपकरण होने के कारण, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों में अधिक शाखाएं खोलने का निर्देश दिया गया है। 2007-08 में, ऐसे जिलों में 523 शाखाएँ खोली गईं। 2008-09 में, 524 नई शाखाएँ खोली गईं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण सुविधाओं में सुधार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण पर 5 जुलाई, 2007 को अपने मास्टर परिपत्र को संशोधित किया। 2008-09 के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत अल्पसंख्यकों को 82864 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। प्रमुख बैंकों की जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) को

International Journal of Management, IT & Engineering
Vol. 8 Issue 7, July 2018,
ISSN: 2249-0558
Impact Factor: 7.119Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

नियमित रूप से निपटान और अल्पसंख्यकों से ऋण आवेदनों की अस्वीकृति की निगरानी करने के लिए निर्देशित किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्गठन के लिए 'सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।

अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम:

एक राष्ट्रीय डेटा बैंक, सामाजिक-धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं के मापदंडों पर डेटा संकलित करने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में स्थापित किया गया है। योजना आयोग में उचित और सुधारात्मक नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एक स्वायत्त मूल्यांकन और निगरानी प्राधिकरण (एएमए) स्थापित किया गया है। सरकारी अधिकारियों के संवेदीकरण के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है। कार्यान्वयन के लिए मॉड्यूल को केंद्रीय / राज्य प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा गया है। लाई बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) ने संगठित नागरिक सेवाओं के संवेदीकरण के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया है और इसे उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया है।

छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना के तहत, अल्पसंख्यक आबादी वाले 69 शहरों के लिए 1602.20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की गई है, जिसमें से 2008-09 में 659.37 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में व्यक्त चिंताओं पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। गृह मंत्रालय द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। अल्पसंख्यक एकाग्रता क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार किया जा रहा है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को मुस्लिम थानों में मुस्लिम थानों और मुस्लिम स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों में मुस्लिम पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग के लिए सलाह दी जाती है। राज्य सरकारों को पंचायती राज मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सलाह दी गई है, ताकि स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व में सुधार हो सके। वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। इन्हें अनुमोदित तौर-तरीकों के अनुसार संसाधित किया गया है। एक समान अवसर आयोग की संरचना और कार्यों का अध्ययन और अनुशंसा करने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समूह ने 13 मार्च, 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुमोदित तौर-तरीकों के अनुसार विविधता सूचकांक पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के साथ, यह संसाधित किया गया है। अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की स्थिति को सुधारने के लिए बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए वार्षिक योजना आवंटन को वर्ष 2009-10 के लिए 1,740 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

निष्कर्ष:

आरक्षण का मुद्दा समाज के आरक्षित और गैर-आरक्षित वर्गों के बीच मतभेद का कारण बना हुआ है। जबकि अनारक्षित खंड, प्रावधान का विरोध करते रहते हैं, आरक्षित खंडों के भीतर से जरूरतमंद वर्ग शायद ही इस बारे में अवगत होते हैं कि प्रावधान से लाभ कैसे प्राप्त किया जाए या इस तरह के प्रावधान हैं या नहीं। इसके विपरीत, एक ही खंड के बीच क्रीमी लेयर आरक्षण के नाम पर विशेष विशेषाधिकार का आनंद ले रहा है और राजनीतिक धड़े उन्हें वोट बैंक के लिए समर्थन दे रहे हैं। आरक्षण कोई संदेह नहीं है, जहां तक यह दलित और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए उचित सकारात्मक भेदभाव का एक तरीका है, समाज, लेकिन जब यह समाज को नुकसान पहुंचाता है और कुछ के लिए दूसरों की कीमत पर विशेषाधिकार सुनिश्चित करता है संकीर्ण राजनीतिक अंत, जैसा कि वर्तमान स्वरूप में है, इसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए।

ग्रंथ-सची

- आर. चन्द्रा व कन्हैया लाल चंचरीक, आधुनिक भारत का दलित आंदोलन, यूनीवर्सिटी पब्लिकेशन, दिल्ली
- अनिरूद्व प्रसाद, आरक्षण: सामाजिक न्याय एवं राजनैतिक सन्तुलन, रावत पब्लिकेशन, दिल्ली
- एम.एन. श्रीनिवास, आधुनिक भारत में जाति अनुवाद रश्मि चैधरी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
- एम.एन. श्रीनिवास, आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध, अनुवादक शरद जोशी, हिन्दी ग्रंथ एकेडमी, मध्यप्रदेश
- महेन्द्र कुमार मिश्रा, भारतीय संविधान मे आरक्षण एवं राजनीति, राज पब्लिकेशन हाउस, जयपुर
- नर्मदेश्वर प्रसाद, 1965, जाति व्यवस्था, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
- योग्रेन्द्र सिहं, भारतीय परंम्परा का आधुनिकीकरण, अनुवादक अरविन्द कुमार अग्रवाल, रावत पब्लिकेशन, जयपुर